अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी-22/2015

अरविन्द कुमार जैन,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःअप्रैल 7,2015

विषय- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य अपील संख्या-652/2012 में दिनांक-03-07-2012 को दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य अपील संख्या-652/2012 में दिनांक-03-07-2012 को दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एन0डी0पी0एस0 से सम्बन्धित मादक पदार्थो के निस्तारण/विनष्टीकरण के संबंध में निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैंः-

स्वापक मालों को सील करने की प्रकियाः-

- प्रत्येक मादक पदार्थ को अच्छी तरह से वर्गीकृत कर, उसकी सही तौल व नमूना, जब्ती के स्थान पर लिया जायेगा।

- सभी पैकेटों/कन्टेनरों को क्रमवार नम्बर अंकित कर बण्डलों (लाटो) में नमूना लेने के लिए रखा जायेगा। बरामद स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ से नमूना जब्ती स्थल पर, दो नमूने, गवाहों की उपस्थिति में जिस व्यक्ति के कब्जे से बरामद हुआ है, के समक्ष ही लिया जायेगा और इस तथ्य का मौके पर तैयार की गयी फर्द बरामदगी में पूरी तरह उल्लेख किया जायेगा।

- प्रत्येक नमूने की जो मात्रा रासायनिक परीक्षण हेतु ली जायेगी, वह सभी स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थो के प्रकरणों में 05 ग्राम से कम नहीं ली जायेगी, केवल अफीम, गॉजा और चरस (हशीश) के प्रकरणों को छोड़कर जहॉ यह मात्रा 24 ग्राम प्रत्येक बरामदगी में रासायनिक परीक्षण हेतु अपेक्षित होगी, दोनों नमूने की मात्रा समान होगी। सभी जब्त मादक पदार्थो के पैकेटों/कन्टेनरों से दो प्रतिनिधि नमूने लेने से पहले उसका भली प्रकार आपस में इस प्रकार मिश्रण किया जायेगा कि वह आपस में घुल-मिल जायें।

स्वापक मालों का सैम्पल (नमूना) लेने की प्रकियाः-

- (ए) अफीम-5 ग्राम। (बी) गांजा/चरस/हशीश-24 ग्राम।
- द्वितीयक नमूने की मात्रा भी उपरोक्तानुसार ही होगी।
- जब्ती एक पैकेट/कन्टेनर में होने की दशा में, दो नमूने लिये जायेंगे। साधारणतया, यह सलाह दी जाती है कि पैकेट/कन्टेनर एक से अधिक होने पर प्रत्येक पैकेट/कन्टेनर से दो नमूने लिये जाए।

- यद्यपि, जब जब्त किये गये पैकेट्स/कन्टेनर्स समान वजन के हों, पहचान चिन्ह समान हो और प्रत्येक की अन्तर्वस्तु की पहचान का परिणाम, नारकोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किट से परीक्षण पर, समान रंग का हो, सभी की निर्णायक पहचान सभी प्रकार से एकमुश्त एक समान हो, तो पैकेटों/कन्टेनरों को सवाधानीपूर्वक 10 पैकेटों/कन्टेनरों के एक ढेर में रखा जायेगा। गॉजा व चरस होने पर यह 40 पैकेट/कन्टेनरों के एक ढेर में रखा जाएगा। इस प्रकार के प्रत्येक ढेर से दो नमूने लिये जा सकते हैं।

- जहॉ इस प्रकार के ढेर बनाने के बाद चरस (हशीश) और गॉजा की स्थिति में, 20 पैकेट/केन्टेनर से कम तथा अन्य प्रकार के मादक पदार्थों की स्थिति में 5 पैकेटों/कन्टेनरों से कम बच जाते हैं, तो इन्हें एक ढेर में रखने की आवश्यकता नहीं है और अन्य नमूना निकालने की आवश्यकता नहीं है।

- यदि इस प्रकार के ढेर बनाने के बाद अन्य मादक पदार्थों के बचे हुए 5 या उससे अधिक तथा चरस (हशीश) और गॉजा की स्थिति में 20 या उससे अधिक पैकेट/कन्टेनर बचते हैं, तो इस प्रकार बचे हुए पैकेट/कन्टेनर से दो नमूने लिया जा सकता है।

- जब इस विशिष्ट समूह से दो नमूने लिये जाएं, तब यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक नमूना समान मात्रा में उस ढेर के सम्पूर्ण मिश्रण में से ही निकाला जाए।

- दोनों नमूने प्लास्टिक की थैली में रखकर उसे गर्म करके चिपका कर सुरक्षित रखा जाये। उस प्लास्टिक की थैली को कागज के लिफाफे में रखकर सही ढंग से सील्ड करना चाहिए। इस प्रकार के लिफाफे को मूल तथा द्वितीय नमूना चिन्हित किया जा सकता है। दोनों लिफाफों पर जिन पैकेट/पैकेटों या कन्टेनर/कन्टेनरों से नमूना लिया गया है, की क्रम संख्या अंकित की जायेगी। द्वितीय लिफाफे पर, जिसमें नमूना रखा गया है, पर भी उसके टेस्ट मेमो का संदर्भ अंकित किया जायेगा। मुहर पठनीय होनी चाहिए। उपरोक्त नमूने के लिफाफों को टेस्ट मेमो के साथ अन्य लिफाफे में डाल करके सील मुहर बन्द करना चाहिए तथा उसके ऊपर गोपनीय मादक पदार्थ नमूना/टेस्ट मेमो अंकित कर सम्बन्धित रसायनिक प्रयोगशाला को भेजना चाहिए।

- सभी राज्य प्रवर्तन शाखाओ द्वारा जब्त मादक पदार्थ के नमूने को परीक्षण हेतु संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक/उप निदेशक को भेजा जायेगा।

<u>न्यायालय में आरोप पत्र/परिवाद के समय अपनायी जाने वाली प्रकियाः-</u>

न्यायालय में एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों में आरोप पत्र/परिवाद दाखिल करते समय सभी जब्त वस्तुऐं/पदार्थ के साथ मूल पंचनामा(सीजर रिपोर्ट) तथा विस्तृत अभिग्रहण सूची (इन्वेन्ट्री) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा अभिग्रहण सूची में वस्तु की पहचान तथा इससे सम्बन्धित समस्त विवरण अवश्य उल्लिखित हों उक्त दस्तावेजों के साथ ही बरामद पदार्थ की कैमिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

<u>ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी का गठन-</u>

भारत सरकार के स्टैण्डिंग आर्डर सं0-01/89, के भाग 4 में ड्रग्स डिस्पोजल के कमेटी के गठन का उल्लेख किया गया है। इस कमेटी में पुलिस अधीक्षक रैंक के नीचे का अधिकारी नहीं होगा। प्रदेश के सन्दर्भ में यह उपयुक्त रहेगा कि इस कमेटी का अध्यक्ष पुलिस उपमहानिरीक्षक

स्तर के अधिकारी हो तथा 02 सदस्य उसी परिक्षेत्र के कोई 02 पुलिस अधीक्षक हो। इस प्रकार गठित परिक्षेत्रीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी अभिग्रहीत मादक पदार्थ के निस्तारण हेतु दायित्वाधीन रहेगी।

- उपरोक्त रूप से गठित कमेटी अभिग्रहीत सैम्पलस न्यायालय प्रेषित किये जाने वाले अरोप पत्रों से सम्बन्धित दस्तावेजों एवं न्यायालय द्वारा ड्रग्स के निस्तारणादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा विचारण हेतु सक्षम न्यायालय द्वारा बरामदशुदा ड्रग्स के निस्तारण आदेश का क्रियान्वयन (वास्तविक रूप से नष्ट करना या गाजीपुर या नीमच भेजना) सुनिश्चित करेगी।

- कुछ मादक पदार्थ जैसे मारफीन, कोकीन और ओपियम के निस्तारण से पूर्व कन्ट्रोलर आफ फैक्ट्रीज से भी अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में यह कमेटी मुख्य नियन्त्रक को संज्ञानित करेगी तथा मुख्य नियन्त्रक 15 दिवस की समयावधि के अन्दर ड्रग डिस्पोजल कमेटी को नियम 67 बी के अन्तर्गत समस्त मादक पदार्थ अथवा निर्धारित मात्रा में सैम्पल भेजकर शेष माल नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दे सकते है।

- यदि मुख्य नियन्त्रक समस्त निस्तारण योग्य माल अथवा उसके कुछ भाग को अधिग्रहीत करना चाहते हो तो यह निस्तारित नहीं किया जायेगा तथा समस्त माल कन्ट्रोल ऑफ फैक्ट्रीज़ को भेजकर पावती प्राप्त की जायेगी। यदि मुख्य नियन्त्रक निस्तारण हेतु अनुमोदन करते हैं तो निस्तारण की अग्रिम प्रक्रिया नियमानुसार की जायेगी।

- निस्तारण से पूर्व, निस्तारण की तिथि एवं स्थान से राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को भी संज्ञानित करना होगा। जब उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण हो जाय तो विभागाध्यक्ष को निस्तारण की तिथि एवं स्थान से भी संज्ञानित करना होगा यदि विभागाध्यक्ष उचित समझते है तो निस्तारण प्रक्रिया के मध्य किसी प्रतिनिधि को भेज सकते है। वास्तविक निस्तारण करते समय निर्धारित प्रक्रिया एवं सावधानियों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। यदि अम्लीय पदार्थ का निस्तारण जलाकर कदापि नहीं किया जायेगा क्यों कि यह ज्वलनशील पदार्थ है वरन् इसका निस्तारण जमीन खोदकर गाड़ा जायेगा।

- ड्रग डिस्पोजल कमेटी की समस्त कार्यवाही एक प्रमाण पत्र के रूप में अभिलिखित की जायेगी जिसकी एक प्रति विभागाध्यक्ष को, दूसरी प्रति सम्बन्धित थाने/थानों के मालखाना रजिस्टर पर चस्पा होगी तथा तृतीय प्रति ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अभिलेखों में सम्मिलित की जायेगी।

- कमेटी की मीटिंग 2 माह में कम से कम 1 बार अवश्य होगी तथा इस कमेटी का ही यह दायित्व होगा की बरामदशुदा वस्तुओं/पदार्थों की वर्तमान स्थिति तथा उनमें से कितने पदार्थों को नष्ट करने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया गया तथा न्यायालय से प्राप्त आदेशों में से कितने का अनुपालन किया गया तथा अनुपालन न किये जाने का कारण संदर्भित करेगी तथा उक्त कमेटी अपने क्षेत्राधिकार में बरामद मादक पदार्थों से सम्बन्धित अभियोगों का विवरण बरामद मात्रा एवं निस्तारण से सम्बन्धित आंकड़ा कृत कार्यवाहियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सी0आई0डी0 मुख्यालय को प्रेषित करेगी तथा सी0आई0डी0 मुख्यालय प्रत्येक कमेटी से प्राप्त विस्तृत आंकड़ों को एकत्रित करते हुए नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरों को सूचित करेगा ताकि न्यायालयों (मा0 सर्वोच्च

न्यायालय व उच्च न्यायालय) में मादक पदार्थों से सम्बन्धित मालों की अद्यतन जानकारी प्रेषित की जा सके तथा इस संबंध में रिसर्च संगठनों को आवश्यक सही आंकड़े उपलब्ध हो सकें।

- ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी बरामद पदार्थों/ड्रग्स का निस्तारण करने के पूर्व समस्त तथ्य का परीक्षण करेगी तथा संतुष्ट होने पर कि अभिग्रहीत पदार्थों को नष्ट किया जा सकता है तथा इस निमित्त न्यायालय की अनुमति भी प्राप्त कर ली गयी है। इस आशय का प्रमाण देने के बाद ही माल को नष्ट किया जा सकता है।

ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया-

- भारत सरकार के नोटीफिकेशन नं0 जीएसआर(ई) दिनांक 10 मई 2007 द्वारा उक्त कमेटी को निम्न मात्रा में अभिग्रहीत वस्तुओं से नष्ट करने का प्राधिकार होगा-
- हेरोइन 5 के0जी0
- हशीश(चरस) 100 के0जी0
- हशीश आयल 20 के0जी0
- गांजा 1000 के0जी0
- कोकीन 2 के0जी0
- पापी स्ट्रा 10 मीटरी टन तक
- मैंड्रेक्स 3000 के0जी0
- अन्य ड्रग्स 5 लाख रूपये मूल्य तक की।
- नोट-उक्त मात्रा से अधिक ड्रग्स होने पर ड्रग डिस्पोजल कमेटी विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में ड्रग्स को विनष्ट करेगी।
- ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि एक केस प्रापर्टी से सम्बन्धित माल एक ही बार में निस्तारित किया जाय।
- प्रायः जब्त मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है अतएव शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी दशा में सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर धारा 52 ए की उपधारा 2 में अन्तर्निहित प्राविधानों का पालन करते हुए इस प्रकार के मादक पदार्थो का निस्तारण विचारण से पूर्व किया जा सकता है।

विचारण के पश्चात बरामदशुदा ड्रग्स के निस्तारण की प्रकिया-

एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत निरूद्ध व्यक्ति का विचारण होने के उपरांत तथा अपील की अवधि समाप्ति के पश्चात् अभिग्रहीत पदार्थ का निस्तारण धारा 52ए की प्रक्रिया के अनुसार होगा। निर्णय के उपरांत निस्तारण की प्रकिया माल खाना प्रभारी द्वारा आरम्भ की जायेगी तथा निस्तारण ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा परन्तु पदार्थों के निस्तारण के पूर्व कमेटी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। निस्तारण का पूर्व विवरण नारकोटिस कन्ट्रोल ब्यूरो को भी प्रतिमाह प्रेषित किया जायेगा। ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा निस्तारण के सम्बन्ध प्रमाण पत्र निम्नानुसार होगा।

मादक पदार्थ निस्तारण आख्या (प्रमाण पत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित मादक/स्वापक पदार्थ इस समिति (ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी.....परिक्षेत्र.....) को नियमानुसार निस्तारण दिनांक..... को .... स्थान पर किया गया।

1. अपराध संख्या
2. मादक/स्वापक पदार्थ का विवरण जिनका निस्तारण किया गया
3. बरामद/जब्त करने वाली संस्था(थाना/जनपद) का नाम
4. बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पद
5. जब्त करने का दिनांक
6. जब्त करने का स्थान
7. माल संख्या
8. माल का वजन (जो बरामद किया गया)
9. माल का वजन (जो नष्ट किया गया)
10. स्थान जहॉ निस्तारण किया गया तथा प्रकार निस्तारण

हस्ताक्षर/नाम/पद
अध्यक्ष/सदस्य ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी

आपराधिक मुकदमों के निस्तारण के उपरांत अभिग्रहीत पदार्थों की निस्तारण की प्रक्रिया-

- आपराधिक मुकदमों के निस्तारित हो जाने के उपरांत एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभिग्रहीत पदार्थों के निस्तारण के सम्बन्ध में चीफ कन्ट्रोलर आफ द फैक्ट्री को सम्बन्धित ड्रग्स के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना भेजी जायेगी।

- पदार्थ के निस्तारण के 15 दिन पूर्व ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा निस्तारण किये जाने की सूचना पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी एवं साथ ही माल के निस्तारण की सूची 2 प्रतियों में तैयार की जायेगी।

- बरामदशुदा मादक पदार्थों एवं वस्तुओं का निस्तारण ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा तथा माल निस्तारण के बाद निस्तारण प्रमाण पत्र ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 3 प्रतियों में तैयार किया जायेगा जिसकी एक प्रति मालखाना रजिस्टर में चस्पा की जायेगी।

2. मादक पदार्थों के निस्तारण/विनष्टीकरण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं उक्त प्राविधानों के संबंध में निर्गत निर्देशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को संज्ञानित करायें, जिससे कि इस संबंध में सुसंगत एवं विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित की जा सके। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद प्रभारी/राजकीय रेलवे पुलिस (अनुभाग) उत्तर प्रदेश। (नाम से)

प्रतिलिपिः-उप महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों, गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-F.No.v/1/Statistics/2012/Ops दिनांकित 27-06-2013 के सदंर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2. जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, लखनऊ, बी-912, सेक्टर-ए, सी0आई0डी0 कालोनी, महानगर लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. पुलिस महानिरीक्षक, प्रभारी एण्टी नारकोटिक्स सेल, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 , उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।